

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/जोन-भरतपुर/एफ.02/2024/506
आदेश

दिनांक 06/06/24

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1) एफ डी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं 27.02.2022 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान-2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नालिखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा में 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण पाये जाने पर उन्हें देय एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन स्थान सुश्री/श्री/श्रीमती	प्रथम नियुक्ति तिथि	मैट्रिक्स लेवल देय दिनांक व पूर्ण सेवा अवधि	स्वीकृत एसीपी	
				वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे मैट्रिक्स लेवल
1.	कैलाश चन्द्र जाट, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन, जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र, सवाईमाधोपुर	04.10.1995	04.10.2022 27वर्षीय	एल-11	एल-12

कर्मचारी का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/जोन-भरतपुर/एफ.02/2024/506

दिनांक 06/06/24

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-भरतपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर।
- संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रक अधिकारी।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक/नियंत्रक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि, उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जावे।
- आदेश पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7392944

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 04-06-2024 11:30:45